



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **JULY 25, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन (भव्य रसायन).....	2
2. प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMNF): प्रगति और ढांचा	4
3. यूरोप के जंगलों में भीषण आग और जलवायु आपातकाल	6
4. यूनेस्को ने वेस्ट बैंक और लेबनानी विरासत स्थलों को संकटग्रस्त सूची में शामिल किया	7
5. निर्वाचन आयोग की शक्तियों की न्यायिक समीक्षा: चुनावी कर्तव्यों के लिए शिक्षकों की मांग.....	9
6. खिलाड़ियों के लिए प्रत्यक्ष सार्वजनिक नियुक्तियां: बिहार की "मेडल लाओ, नौकरी पाओ" नीति.....	11
6A. विधायी विकास और द्विदलीय सहमति: लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024....	12
7. चांदीपुरा वायरस का प्रकोप और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया	14
8. बीपीएल आय सीमा बढ़ाने का कर्नाटक का प्रस्ताव और कल्याणकारी सुधार	16
9. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण: रुपये में नामांकित आयात भुगतानों में उछाल.....	17
10. मुकदमों के बैकलाग से लदे फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालय: कानून मंत्रालय का डेटा	19
11. गहराता पश्चिम एशिया संघर्ष और रूसी कच्चे तेल पर छूट का खात्मा	20
12. ओडिशा का ट्रेडमार्क कदम: पुरी जगन्नाथ मंदिर के लिए बौद्धिक संपदा हासिल करना.....	22

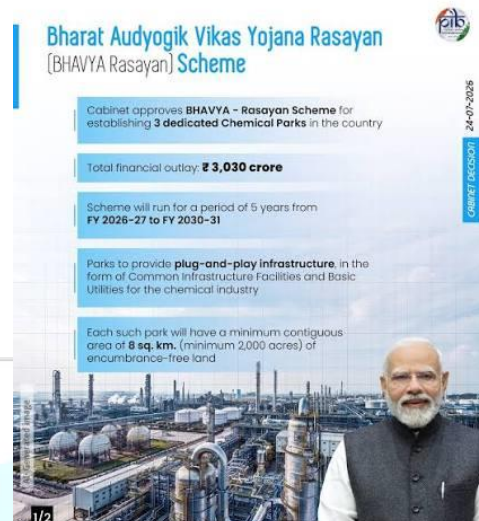
SIXSIGMA IAS
Dream | Dare | Deliver

1. भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन (भव्य रसायन)

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार तीन समर्पित केमिकल पार्कों की स्थापना के लिए भव्य (BHAVYA) रसायन योजना को मंजूरी दी।
- **वित्तीय परिचय:** 5 वर्षों (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31) के दौरान कुल ₹3,030 करोड़ का परिचय, जिसमें कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज (CIF) के लिए ₹3,000 करोड़ और प्रशासनिक व्यय के लिए ₹30 करोड़ शामिल हैं।

- **फंडिंग और लागत-साझाकरण पैटर्न:** प्रति पार्क ₹1,000 करोड़ तक की केंद्रीय सहायता (50% अनुदान), संबंधित राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम ₹500 करोड़ का अनिवार्य योगदान।
- **प्रतिस्पर्धी चयन:** पार्कों की स्थापना 'चैलेंज रूट' (प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया) के माध्यम से की जाएगी। चयनित राज्यों को न्यूनतम 8 वर्ग किमी (2,000 एकड़) की बाधा-मुक्त (encumbrance-free) सन्निहित भूमि प्रदान करनी होगी।
- **प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर:** कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP), खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, तथा उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाओं (TSDF) सहित केंद्रीकृत पर्यावरणीय बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **रणनीतिक लक्ष्य:** वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना, ग्लोबल वैल्यू चेन (GVC) एकीकरण को प्रोत्साहित करना, रसद (लॉजिस्टिक्स) लागत को कम करना, आयात प्रतिस्थापन को गति देना और 'विकसित भारत @ 2047' के दृष्टिकोण का समर्थन करना।



आवश्यक परिभाषाएं

- **प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर (Plug-and-Play Infrastructure):** पूर्व-विकसित औद्योगिक स्थल जो आवश्यक सुविधाओं (बिजली, पानी, अपशिष्ट प्रबंधन, कनेक्टिविटी) से लैस होते हैं, जिससे इकाइयाँ बिना किसी लंबे सेटअप विलंब के तुरंत अपना संचालन शुरू कर सकती हैं।
- **चैलेंज रूट (Challenge Route):** एक प्रतिस्पर्धी चयन पद्धति जहाँ राज्य सरकारें तत्परता, भूमि की उपलब्धता, वित्तीय योगदान और नीतिगत समर्थन के आधार पर परियोजना आवंटन के लिए बोली लगाती हैं।
- **कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज (CIF):** साझा औद्योगिक सुविधाएं (जैसे, CETPs, परीक्षण प्रयोगशालाएं, लॉजिस्टिक्स हब) जो व्यक्तिगत विनिर्माण इकाइयों के लिए परिचालन और पूंजीगत व्यय को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक क्षेत्र (सातवीं अनुसूची):**
 - **सूची II (राज्य सूची):** प्रविष्टि 24 में 'उद्योग' (सूची I की प्रविष्टि 7 और 52 के अधीन) और प्रविष्टि 18 में 'भूमि' शामिल है, जो साइट आवंटन और राज्य स्तरीय निष्पादन को राज्य के अधिकार क्षेत्र में रखती है।
 - **सूची I (संघ सूची):** प्रविष्टि 52 केंद्रीय संसद को कानून द्वारा लोक हित में समीचीन घोषित उद्योगों को विनियमित करने का अधिकार देती है।
- **पर्यावरण विधान:** इस योजना के तहत निर्मित बुनियादी ढांचे को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, और खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट नियम, 2016 का सख्ती से पालन करना होगा।

- **विदेश व्यापार नीति और एफडीआई ढांचा:** रसायन निर्माण के लिए स्वचालित मार्ग (automatic route) के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय व्यापार प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाता है।

निष्कर्ष

भव्य (BHAVYA) रसायन योजना भारत के रसायन क्षेत्र में संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है। प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं के साथ केंद्रीकृत पर्यावरणीय अनुपालन को जोड़कर, यह योजना व्यवसाय करने की लागत को कम करती है, उच्च मूल्य वाले निवेश आकर्षित करती है, और कपड़ा, कृषि एवं फार्मास्यूटिकल्स जैसे डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के लिए एक आर्थिक गुणक के रूप में कार्य करती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** संघवाद (चैलेंज रूट के माध्यम से केंद्र-राज्य सहकारी फंडिंग); केंद्रीय अनुदानों के माध्यम से योजना का निष्पादन।
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; औद्योगिक नीति, बुनियादी ढांचा (औद्योगिक गलियारे और पार्क), और पर्यावरण प्रभाव आकलन।

2. प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMNF): प्रगति और ढांचा

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **योजना की वास्तुकला:** 25 नवंबर 2024 को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत, NMNF एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है जो रसायन मुक्त, जलवायु-लचीली कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश भर में संचालित हो रही है।
- **मूल दर्शन:** पशुधन आधारित पारंपरिक भारतीय ज्ञान को विविध फसल प्रणालियों के साथ एकीकृत करता है, जिसका लक्ष्य मिट्टी के स्वास्थ्य की बहाली, पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन और किसानों के लिए इनपुट (लागत) खर्च में कमी करना है।
- **समग्र पारिस्थितिकी तंत्र की मान्यता:** मिट्टी, जल, कृषि सूक्ष्मजीव (microbiome), वनस्पति, जीव, जलवायु प्रणालियों और मानवीय आवश्यकताओं के बीच पारिस्थितिक अंतर-निर्भरता पर जोर देता है।
- **संस्थागत सहायता ढांचा:** जमीनी स्तर पर इसका प्रसार 527 कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs), 76 कृषि विश्वविद्यालयों (AUs) और 194 स्थानीय प्राकृतिक खेती संस्थानों (LNFIs) के माध्यम से पूरे भारत में समर्थित है।
- **क्षमता निर्माण ढांचा:** प्राकृतिक खेती संस्थानों के 18 केंद्र (CoNFs) कृषि वैज्ञानिकों, राज्य/जिला अधिकारियों और किसान मास्टर प्रशिक्षकों (FMTs) को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- **जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन:** प्रशिक्षित कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (CRPs) और कृषि सखियों—अब तक 33,257 से अधिक प्रशिक्षित—को किसानों को क्लस्टर स्तर पर व्यावहारिक सहायता प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **प्राकृतिक खेती (Natural Farming):** एक पारिस्थितिक, रसायन मुक्त खेती प्रणाली जो पारंपरिक तरीकों पर आधारित है, जो कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों से बचाती है, और ऑन-फार्म जैव-इनपुट, फसल विविधता तथा पशुधन एकीकरण पर निर्भर करती है।
- **केंद्र प्रायोजित योजना (CSS):** केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित योजना (जैसे, 60:40 या 90:10 का अनुपात), जहाँ केंद्र सरकार धन और नीतिगत दिशा प्रदान करती है जबकि राज्य सरकारें ज़मीन पर इसका कार्यान्वयन करती हैं।
- **कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (CRPs) / कृषि सखियां:** प्रशिक्षित स्थानीय अग्रणी किसान या स्वयं सहायता समूह के सदस्य जो ज़मीनी स्तर पर विस्तार कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं, जो किसानों को प्राकृतिक खेती प्रथाओं की ओर स्थानांतरित करने के लिए सहकर्मियों से सहकर्मियों प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करते हैं।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक आवंटन (सातवीं अनुसूची):** कृषि सूची II (राज्य सूची), प्रविष्टि 14 के अंतर्गत आती है, जो निष्पादन की जिम्मेदारी राज्यों पर डालती है, जबकि NMNF जैसे केंद्रीय मिशन CSS फंडिंग तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हैं।
- **राज्य नीति के निदेशक तत्व (DPSP):**
 - **अनुच्छेद 48:** राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों पर कृषि और पशुपालन को संगठित करने का निर्देश देता है, जो पशुधन-एकीकृत प्राकृतिक खेती मॉडल के अनुकूल है।
 - **अनुच्छेद 48A:** पर्यावरण के संरक्षण और सुधार को अनिवार्य बनाता है, जो टिकाऊ, प्रदूषण-मुक्त खेती प्रथाओं का समर्थन करता है।
- **वैधानिक तालमेल:** कृषि जैव विविधता को संरक्षित करके और मिट्टी के संप्रदूषण को रोककर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय संरक्षण रणनीतियों को पूरा करता है।

निष्कर्ष

प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन भारतीय कृषि को रसायन-गहन मॉडल से पारिस्थितिक स्थिरता और इनपुट आत्मनिर्भरता की ओर स्थानांतरित करता है। एक संगठित संस्थागत प्रशिक्षण नेटवर्क के साथ स्थानीय पारंपरिक ज्ञान को जोड़कर, NMNF जलवायु लचीलापन बढ़ाता है, किसान के खर्च को कम करता है, और दीर्घकालिक कृषि स्थिरता सुनिश्चित करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक क्षेत्र/कृषि से संबंधित सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे; केंद्र प्रायोजित योजनाएं और केंद्र-राज्य संबंध।
- **जीएस पेपर III:** मुख्य फसलें और फसल पैटर्न; टिकाऊ कृषि, भूमि क्षरण, जलवायु लचीलापन; जैव-इनपुट, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, और सहकर्मियों-नेतृत्व वाली कृषि विस्तार सेवाएं।

3. यूरोप के जंगलों में भीषण आग और जलवायु आपातकाल

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **एक साथ तीव्र वृद्धि:** दक्षिण-पश्चिम फ्रांस और मध्य स्पेन अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों, लंबे समय से जारी लू (हीटवेव) और लगातार चलने वाली तेज हवाओं के कारण भीषण, आपस में मिलती हुई जंगल की आग का सामना कर रहे हैं।
- **अभूतपूर्व निकासी:** फ्रांस में बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर निकालने के आदेश दिए गए—विशेष रूप से कैप फेरेट प्रायद्वीप में—जिससे 63,000 से अधिक निवासियों और पर्यटकों को भूमि और समुद्री मार्गों से भागने पर मजबूर होना पड़ा।
- **ऐतिहासिक राष्ट्रीय आपातकाल:** स्पेन ने विशेष रूप से जंगल की आग के लिए अपने पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की क्योंकि आपस में मिलती आग ने मैड्रिड के बाहरी इलाकों को खतरे में डाल दिया था, जिससे संघीय राहत कोष का रास्ता साफ हो गया।
- **क्षेत्रीय क्षमता पर दबाव:** आग की अत्यधिक तीव्रता ने दोनों देशों को यूरोपीय संघ (EU) की नागरिक सुरक्षा तंत्र से सहायता मांगने पर मजबूर किया।
- **मानवजनित जलवायु संबंध:** वैज्ञानिकों और क्षेत्रीय नेताओं ने इस चरम अग्नि व्यवहार को संयुक्त जलवायु घटनाओं का परिणाम बताया है, जिसे बढ़ते तापमान और सूखे का "परफेक्ट स्टॉर्म" (पूर्ण संकट) कहा जा रहा है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **जंगल की आग (Wildfire / Forest Fire):** ज्वलनशील वनस्पतियों में लगने वाली एक अनियंत्रित, तेजी से फैलने वाली आग जो ग्रामीण या जंगली इलाकों में होती है, जो अक्सर शुष्क बायोमास और तेज हवाओं से तीव्र हो जाती है।
- **संयुक्त जलवायु घटना (Compound Climate Event):** कई मौसम संबंधी खतरों का एक साथ होना (जैसे, लंबे समय तक सूखे के साथ-साथ भीषण लू का चलना), जो पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को बढ़ा देता है।
- **यूरोपीय संघ नागरिक सुरक्षा तंत्र (EU Civil Protection Mechanism):** एक यूरोपीय ढांचा जो अत्यधिक प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान प्रतिभागी राज्यों के बीच संयुक्त आपातकालीन प्रतिक्रियाओं का समन्वय करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक निर्देश (भारत संदर्भ):**
 - **अनुच्छेद 48A (DPSP):** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करने का आदेश देता है।

- **अनुच्छेद 51A(g):** प्रत्येक नागरिक पर वनों और झीलों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का एक मौलिक कर्तव्य लागू करता है।
- **वैधानिक आपदा ढांचा:** जंगल की आग और चरम मौसमी घटनाओं को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत शासित किया जाता है, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य प्राधिकरणों (SDMAs) को शमन और प्रतिक्रिया योजनाओं को निष्पादित करने के लिए सशक्त बनाता है।
- **वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताएं:** आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) के तहत अंतर्राष्ट्रीय जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों और पेरिस समझौते के तहत जलवायु अनुकूलन लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाता है।

निष्कर्ष

यूरोप की विनाशकारी आग संयुक्त जलवायु आपदाओं की बढ़ती वैश्विक आवृत्ति को रेखांकित करती है। ऐसी सीमा पार पर्यावरणीय आपदाओं से निपटने के लिए प्रतिक्रियात्मक आपातकालीन प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़कर सक्रिय जोखिम शमन, उन्नत पूर्व चेतावनी प्रणालियों और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** आपदा और आपदा प्रबंधन (जंगल की आग, लू, शमन रणनीतियाँ); संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण (जलवायु परिवर्तन के प्रभाव)।
- **जीएस पेपर I:** भौतिक भूगोल (विश्व जलवायु पैटर्न, जंगल की आग की गतिशीलता और लू की आवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक)।

4. यूनेस्को ने वेस्ट बैंक और लेबनानी विरासत स्थलों को संकटग्रस्त सूची में शामिल किया

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **आपातकालीन समावेशन:** बुसान, दक्षिण कोरिया में बैठक करते हुए यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने आपातकालीन प्रक्रियाओं के तहत वेस्ट बैंक और लेबनानी ऐतिहासिक स्थलों को विश्व धरोहर सूची और संकटग्रस्त विश्व धरोहर की सूची में एक साथ जोड़ने के लिए मतदान किया।
- **वेस्ट बैंक पुरातात्विक स्थल:** नब्लस से 10 किमी उत्तर पश्चिम में स्थित सेबास्टिया के छोटे से पहाड़ी शहर को प्राचीन सामरिया (बाइबिल के इजराइल साम्राज्य की राजधानी) का प्रतिनिधित्व करने वाले एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल के रूप में दर्जा दिया गया।
- **लेबनानी किलाबंदी वास्तुकला:** दक्षिण लेबनान के माउंट अमेल (जबल अमेल) क्षेत्र में बोफोर्ट कैसल सहित पांच किलों को सैन्य वास्तुकला के नौ शताब्दियों के विकसित होते रूप को प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया गया था।

- **संघर्ष के खतरे का हवाला:** यूनेस्को ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के खतरों और गंभीर संरचनात्मक क्षति का हवाला देते हुए आपातकालीन तंत्र का उपयोग किया जो स्थलों के विनाश का कारण बन रहे हैं।
- **राजनयिक दावे-प्रतिदावे:** यह निर्णय इज़राइल की राजनयिक आपत्तियों के बावजूद आगे बढ़ा, जिसने इन नामांकनों को "सांस्कृतिक विरासत का हथियार की तरह इस्तेमाल" और राजनीतिक पैतरेबाज़ी करार दिया।
- **बहुसांस्कृतिक विरासत परतें:** नए नामित स्थल लौह युग, रोमन, बीजान्टिन, क्रूसेडर, अयूबिद, ममलूक और इस्लामी ऐतिहासिक कालखंडों में फैली बहु-युगीन मानव इतिहास को दर्शाते हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **संकटग्रस्त विश्व धरोहरों की सूची (List of World Heritage in Danger):** किसी संपत्ति की मुख्य विशेषताओं को खतरे में डालने वाली स्थितियों के बारे में वैश्विक समुदाय को सचेत करने के लिए 1972 के विश्व धरोहर सम्मेलन के अनुच्छेद 11(4) के तहत यूनेस्को द्वारा बनाए रखी गई एक विशेष सूची।
- **आपातकालीन सूचीकरण प्रक्रिया (Emergency Listing Procedure):** एक त्वरित प्रोटोकॉल जो विश्व धरोहर समिति को सशस्त्र संघर्ष या आपदाओं से आसन्न विनाश का सामना कर रहे स्थलों को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने के लिए मानक मूल्यांकन चक्रों को बायपास करने की अनुमति देता है।
- **स्तरित वास्तुशिल्प विरासत (Layered Architectural Heritage):** ऐतिहासिक संरचनाएं जो सदियों से क्रमिक साम्राज्यों के दौरान जोड़ी गई क्रमिक स्थापत्य शैलियों और रक्षात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करती हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अंतर्राष्ट्रीय संधियां:**
 - **1972 यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन:** प्राथमिक बहुपक्षीय ढांचा स्थापित करता है जो विरासत स्थलों के कानूनी संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण को स्थापित करता है।
 - **1954 हेग कन्वेंशन:** सशस्त्र संघर्ष के दौरान सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा को अनिवार्य बनाता है, तथा ऐतिहासिक स्मारकों के सैन्य लक्ष्यीकरण या शोषण को प्रतिबंधित करता है।
- **संवैधानिक प्रावधान (भारत संदर्भ):**
 - **अनुच्छेद 49 (DPSP):** राज्य को राष्ट्रीय महत्व घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक हित के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा करने का निर्देश देता है।
 - **अनुच्छेद 51A(f):** हमारी सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और उसका संरक्षण करने का मौलिक कर्तव्य अनिवार्य करता है।

निष्कर्ष

सेबास्टिया और माउंट अमेल के किलों की आपातकालीन सूचीकरण सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों में वैश्विक विरासत संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। सैन्य विनाश के खिलाफ साझा सभ्यतागत इतिहास की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और संतुलित बहुपक्षीय विरासत प्रशासन का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस PAPER II:** अंतर्राष्ट्रीय निकायों की भूमिका और कामकाज (यूनेस्को); विरासत संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और पश्चिम एशिया में राजनयिक विवाद।
- **जीएस PAPER I:** विश्व इतिहास और सांस्कृतिक विरासत (स्थापत्य शैली, प्राचीन सभ्यतागत स्थलों का संरक्षण, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचा)।

5. निर्वाचन आयोग की शक्तियों की न्यायिक समीक्षा: चुनावी कर्तव्यों के लिए शिक्षकों की मांग

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **दिल्ली उच्च न्यायालय की समीक्षा:** मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों को बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) के रूप में अनिवार्य रूप से तैनात करने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से सवाल किया।
- **व्यापक तैनाती के खिलाफ जनहित याचिका (PIL):** एक जनहित याचिका में दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए सरकारी और नगरपालिका स्कूलों के शिक्षकों की बड़े पैमाने पर तैनाती को चुनौती दी गई।
- **शिक्षा का व्यवधान:** याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि शिक्षण समय के दौरान सरकारी स्कूलों में पूरे संकाय (शिक्षकों) को हटा लिया गया था, जिससे कक्षाएं अतिथि शिक्षकों के भरोसे छूट गईं और कमजोर वर्गों के छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ।
- **अनुच्छेद 324 पर न्यायिक टिप्पणियां:** पीठ ने टिप्पणी की, "अनुच्छेद 324 की शरण लेकर क्या आप जो चाहें कर सकते हैं?", इस बात पर जोर देते हुए कि चुनावी कर्तव्य स्वैच्छिक होने चाहिए या गैर-शिक्षण घंटों तक सीमित होने चाहिए।
- **स्वास्थ्य और कार्यभार संबंधी चिंताएं:** जनहित याचिका में अत्यधिक तनाव और दर्दनाक घटनाओं का हवाला दिया गया, जिसमें नियमित स्कूल जिम्मेदारियों और बीएलओ (BLO) कर्तव्यों को संतुलित करने वाले एक नगरपालिका स्कूल के शिक्षक की दिल का दौरा पड़ने से हुई दुखद मृत्यु भी शामिल है।
- **निर्वाचन आयोग (ECI) का रुख:** ECI ने प्रस्तुत किया कि SIR एक राष्ट्रव्यापी अभ्यास है, जिसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13B के तहत मानदेय के साथ केवल गैर-शिक्षण घंटों/छुट्टियों के दौरान 10-14% शिक्षकों को ही शामिल किया जाता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **अनुच्छेद 324 (Article 324):** संवैधानिक प्रावधान जो भारत के निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची तैयार करने और सभी चुनावों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार निहित करता है।



- **बूथ स्तर का अधिकारी (BLO - Booth Level Officer):** एक स्थानीय सरकारी या अर्ध-सरकारी अधिकारी जिसे मतदान केंद्र स्तर पर मतदाता सूची को बनाए रखने और अद्यतन करने के लिए निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा नामित किया जाता है।

- **विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR - Special Intensive Revision):** मतदाता सूचियों को साफ करने, अद्यतन करने और उनकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जाने वाला एक गहन, घर-घर जाकर सत्यापन करने वाला अभियान।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य:**

- **अनुच्छेद 21A:** 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, जो कक्षा में शिक्षण बाधित होने पर गंभीर रूप से प्रभावित होता है।
- **अनुच्छेद 14:** भेदभावपूर्ण तैनाती के कारण इसका आह्वान किया गया, क्योंकि सरकारी और नगर निगम के शिक्षकों की बड़े पैमाने पर मांग की जाती है जबकि निजी स्कूल के कर्मचारी अप्रभावित रहते हैं।

- **वैधानिक ढांचा:**

- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act), 2009 की धारा 27:** शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कर्तव्यों के लिए तैनात करने से रोकती है, केवल दशकीय जनगणना, आपदा राहत और स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनावों को छोड़कर।
- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act), 1950/1951 की धारा 13B और 159:** चुनावी कार्यों के लिए सरकारी विभागों और स्थानीय अधिकारियों से कर्मचारियों की मांग करने का अधिकार प्रदान करती है।

- **न्यायिक मिसालें:** *ECI बनाम सेंट मैरी स्कूल (2008)* के मामले में यह स्थापित किया गया था कि शैक्षणिक शिक्षण घंटों को संरक्षित करने के लिए शिक्षकों को मुख्य रूप से गैर-शिक्षण दिनों या छुट्टियों के दिन ही चुनाव कार्य के लिए तैनात किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ दोहराती हैं कि यद्यपि अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, लेकिन ऐसा अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे शिक्षा के संवैधानिक अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक शिक्षा की रक्षा के लिए तैनाती को तर्कसंगत बनाना, गैर-शिक्षण कर्मचारियों का उपयोग करना और स्वैच्छिक भागीदारी को लागू करना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारतीय संविधान—महत्वपूर्ण प्रावधान (अनुच्छेद 324, 21A); कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय (ECI)।
- **जीएस पेपर II:** शिक्षा और मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

6. खिलाड़ियों के लिए प्रत्यक्ष सार्वजनिक नियुक्तियां: बिहार की "मेडल लाओ, नौकरी पाओ" नीति

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **प्रत्यक्ष राजपत्रित (गेज़ेटेड) नियुक्तियां:** भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाश दीप और मुकेश कुमार को बिहार में सीधे पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के रूप में नियुक्त किया गया।
- **नीति कार्यान्वयन:** ये नियुक्तियां बिहार की प्रमुख खेल प्रोत्साहन पहल, "मेडल लाओ, नौकरी पाओ" योजना के तहत की गईं।
- **व्यापक लाभार्थी दायरा:** मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं के कुल 19 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों को आधिकारिक नियुक्ति पत्र वितरित किए।
- **संस्थागत मील का पत्थर:** बिहार में यह पहला अवसर है जब सक्रिय विशिष्ट खिलाड़ियों (एथलीटों) को सीधे उच्च पदस्थ राज्य पुलिस सेवा (DSP) की भूमिकाओं में शामिल किया गया है।
- **युवा और खेल प्रोत्साहन:** राज्य की इस पहल का उद्देश्य एथलीटों के लिए संरचनात्मक सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा तैयार करना है, जिससे युवाओं की भागीदारी और खेलों में करियर की अवधि को बढ़ावा मिले।
- **आउट-ऑफ-टर्न (क्रम-रहित) भर्ती:** बिना किसी पारंपरिक प्रतिस्पर्धी परीक्षा के असाधारण राष्ट्रीय उपलब्धियों के लिए आउट-ऑफ-टर्न पोस्टिंग देने हेतु राज्य भर्ती नियमों के तहत कार्यकारी विवेक का प्रदर्शन करता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति/नियुक्ति (Out-of-Turn Promotion/Appointment):** प्रशासनिक प्रावधान जो राज्य या केंद्र सरकार के अधिकारियों को मानक भर्ती मार्गों को दरकिनार करते हुए, खेल या वीरता जैसे क्षेत्रों में असाधारण योग्यता के आधार पर व्यक्तियों को नागरिक या पुलिस पदों पर सीधे नियुक्त करने की अनुमति देता है।
- **पुलिस उपाधीक्षक (DSP - Deputy Superintendent of Police):** भारतीय राज्य पुलिस बलों में एक वरिष्ठ रैंक, जो जिला स्तर के कानून प्रवर्तन, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराध जांच के लिए जिम्मेदार समूह-ए/वर्ग-1 राजपत्रित अधिकारी के रूप में कार्य करता है।



- **खेल कोटा नीति (Sports Quota Policy):** पेशेवर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारों द्वारा नामित सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार पदों का औपचारिक आरक्षण या प्रत्यक्ष आवंटन।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक क्षेत्र (सातवीं अनुसूची):**
 - **सूची II (राज्य सूची), प्रविष्टि 1:** कानून और व्यवस्था, तथा **प्रविष्टि 2:** पुलिस, जो राज्य सरकारों को पुलिस कैडर भर्ती और नियुक्तियों पर नियामक शक्ति प्रदान करती है।
 - **सूची II (राज्य सूची), प्रविष्टि 33:** खेल, मनोरंजन और आमोद-प्रमोद, जो राज्य विधायिकाओं और कार्यकारी निकायों को खेल संवर्धन नीतियां तैयार करने में सक्षम बनाती है।
 - **सूची II (राज्य सूची), प्रविष्टि 41:** राज्य लोक सेवाएं, जो भर्ती शर्तों से संबंधित विधायी क्षमता प्रदान करती हैं।
- **संवैधानिक मानक:**
 - **अनुच्छेद 16(1) एवं 16(4):** सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी देता है; उचित वर्गीकरण (जैसे खेल कोटा) की अनुमति देने वाले वैधानिक नियम गैर-भेदभावपूर्ण शासन सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
- **राज्य पुलिस नियम:** संबंधित राज्य पुलिस अधिनियमों और लोक सेवा आयोग छूट प्रावधानों के तहत तैयार किए गए कार्यकारी आदेशों के माध्यम से निष्पादित।

निष्कर्ष

राज्य की खेल नीतियों के तहत वरिष्ठ सार्वजनिक पदों पर अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों का सीधा समावेश मानव संसाधन प्रोत्साहन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। करियर की सुरक्षा को खेल उत्कृष्टता के साथ एकीकृत करके, राज्य युवाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देते हैं और साथ ही संस्थागत सुधार और सामुदायिक जुड़ाव को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रतीकों (आइकन्स) का लाभ उठाते हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** शासन, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; मानव संसाधन और सार्वजनिक सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित मुद्दे; राज्य पुलिस सेवाओं की भूमिका।
- **जीएस PAPER II:** समाज के संवेदनशील और प्रतिभाशाली वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; सातवीं अनुसूची के तहत केंद्र-राज्य संबंध।

6A. विधायी विकास और द्विदलीय सहमति: लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **विधायी उद्देश्य:** पेपर लीक, प्रतिरूपण (इम्पर्सनेशन) और उत्तर कुंजी से छेड़छाड़ को सख्ती से रोककर राष्ट्रीय सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए पेश किया गया।
- **अभ्यर्थियों के लिए छूट:** यह अधिनियम वास्तविक अभ्यर्थियों को आपराधिक दायित्व से स्पष्ट रूप से बाहर करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वास्तविक छात्र आपराधिक कानूनों के बजाय परीक्षा निकायों के प्रशासनिक नियमों के तहत रहें।
- **दो-स्तरीय दंडात्मक ढांचा:** सामान्य गड़बड़ियों के लिए ₹10 लाख तक के जुर्माने के साथ 3 से 5 साल के कारावास, और संगठित सिंडिकेट के लिए कम से कम ₹1 करोड़ के जुर्माने के साथ 5 से 10 साल के कारावास का प्रावधान करता है।
- **सेवा प्रदाता की जवाबदेही:** शामिल सेवा प्रदाताओं को लीक में संलिप्तता के लिए ₹1 करोड़ तक का जुर्माना, परीक्षा लागत की वसूली और चार साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट (काली सूची में डालना) किए जाने का सामना करना पड़ेगा।
- **द्विदलीय संसदीय समर्थन:** युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए फरवरी 2024 में क्रॉस-पार्टी (दलीय सीमाओं से परे) समर्थन के साथ पारित किया गया, हालांकि विपक्ष के सदस्यों ने दंडात्मक उपायों के साथ-साथ मजबूत निवारक तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया।
- **व्यापक एजेंसी कवरेज:** संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे, बैंकिंग भर्ती बोर्ड और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) सहित प्रमुख अधिकारियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को कवर करता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **अनुचित साधन (Unfair Means):** मौद्रिक अनुचित लाभ के लिए किए गए अनधिकृत कार्य, जिनमें पेपर लीक, ओएमआर शीट तक अनधिकृत पहुंच, प्रतिरूपण (दूसरों के स्थान पर परीक्षा देना), और कंप्यूटर नेटवर्क या उम्मीदवार रैंक सूचियों के साथ छेड़छाड़ शामिल है।
- **परीक्षाओं में संगठित अपराध (Organized Crime in Examinations):** साझा वित्तीय लाभ के लिए परीक्षा प्रणालियों में हेरफेर करने के लिए मिलीभगत या साजिश में काम करने वाले व्यक्तियों या सिंडिकेट द्वारा निष्पादित अवैध गतिविधियां।
- **लोक परीक्षा प्राधिकरण (Public Examination Authority):** भर्ती या प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित वैधानिक या केंद्रीय निकाय (जैसे, UPSC, NTA, SSC)।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक आवंटन (सातवीं अनुसूची):**
 - **सूची I (संघ सूची), प्रविष्टि 73:** संघ सेवाओं और केंद्रीय संस्थानों के लिए परीक्षा प्रणाली।
 - **सूची III (समवर्ती सूची), प्रविष्टि 25:** शिक्षा, जो संसद को प्रवेश परीक्षाओं के लिए व्यापक मानक बनाने की शक्ति प्रदान करती है।
- **वैधानिक तालमेल:** भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) में स्पष्ट रूप से परिभाषित न की गई प्रणालीगत कमियों को दूर करता है, विशेष, गैर-जमानती और संज्ञेय आपराधिक अपराध बनाता है।
- **मॉडल ड्राफ्ट कार्यक्षमता:** राज्य स्तर की लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए अपनाने और अनुकूलित करने हेतु राज्य सरकारों के लिए एक केंद्रीय संदर्भ ढांचे के रूप में कार्य करता है।

निष्कर्ष

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 संगठित पेपर-लीक कार्टेल के खिलाफ एक महत्वपूर्ण वैधानिक निवारक प्रदान करता है। जबकि कठोर दंड प्रणालीगत भ्रष्टाचार को रोकते हैं, दीर्घकालिक सफलता के लिए सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक जवाबदेही और मजबूत निवारक ऑडिट के साथ सख्त प्रवर्तन को जोड़ने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- जीएस पेपर II:** वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय; सार्वजनिक भर्ती और शासन में अखंडता बनाए रखने के उद्देश्य से सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।
- जीएस पेपर IV:** शासन में ईमानदारी, सार्वजनिक परीक्षाओं में नैतिकता, प्रशासनिक शुचिता, और सिविल सेवा चयन में योग्यता (मेरिटोक्रेसी) की रक्षा।

7. चांदीपुरा वायरस का प्रकोप और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- प्रकोप की तीव्रता:** राजस्थान के स्वास्थ्य अधिकारियों ने पुष्टि किए गए चांदीपुरा वायरस (CHPV) से हुई मौतों के बाद डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर जिलों में बीमारी की निगरानी बढ़ा दी है।
- हताहतों की संख्या:** 24 जुलाई तक, क्षेत्रीय प्रकोप में नौ मौतों की पुष्टि दर्ज की गई, जिसमें गुजरात में सात और राजस्थान में दो मौतें शामिल हैं।
- अत्यधिक संवेदनशील समूह:** यह वायरल संक्रमण मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लक्षित करता है, जो तेजी से नैदानिक प्रगति और उच्च मृत्यु दर प्रदर्शित करता है।
- वाहक (वेक्टर) और उत्पत्ति:** रैहबडोविरिडे (Rhabdoviridae) परिवार से संबंधित, CHPV को पहली बार 1965 में चांदीपुरा गांव, महाराष्ट्र में पहचाना गया था, और यह संक्रमित सैंडफ्लाई (बालू मक्खी) और ग्रामीण कीड़ों के काटने से फैलता है।
- मौसमी अभिव्यक्ति:** ग्रामीण और अर्ध-शहरी बस्तियों में वाहक प्रजनन में वृद्धि के कारण मानसून के मौसम में मामले आमतौर पर चरम पर होते हैं।
- मैदानी हस्तक्षेप:** राज्य की स्वास्थ्य टीमों ने आगे के प्रसार को रोकने के लिए घर-घर जाकर लक्षणों की जांच, स्थानीय स्तर पर फॉगिंग अभियान और सामुदायिक जागरूकता अभियान शुरू किए।

आवश्यक परिभाषाएं

- **चांदीपुरा वायरस (CHPV):** रहैब्डोविरिडे परिवार का एक आरएनए (RNA) वायरस जो तीव्र एन्सेफलाइटिस (मस्तिष्क शोथ) का कारण बनता है, जिससे तेजी से मस्तिष्क में सूजन, दौरे, चेतना में बदलाव और बच्चों में उच्च मृत्यु दर होती है।
- **एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (AES - तीव्र मस्तिष्क शोथ लक्षण):** एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल स्थिति जो बुखार की तीव्र शुरुआत, न्यूरोलॉजिकल लक्षणों और मस्तिष्क के ऊतकों में सूजन की विशेषता है, जो वायरल, बैक्टीरियल या पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों से चालू होती है।
- **वाहक नियंत्रण (Vector Control):** कीटनाशकों, स्वच्छता और भौतिक बाधाओं के माध्यम से रोग फैलाने वाले जीवों की आबादी (जैसे फ्लेबोटोमाइन सैंडप्लाई) को दबाने के उद्देश्य से किए जाने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक क्षेत्र (सातवीं अनुसूची):**
 - **सूची II (राज्य सूची), प्रविष्टि 6:** सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, जो प्राथमिक परिचालन प्रतिक्रिया को राज्य के अधिकार के तहत रखते हैं।
 - **सूची III (समवर्ती सूची), प्रविष्टि 29:** मनुष्यों, जानवरों या पौधों को प्रभावित करने वाले संक्रामक या संक्रामक रोगों या कीटों के एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रसार की रोकथाम, जो समन्वित अंतर-राज्यीय रोकथाम को सक्षम बनाती है।
- **वैधानिक तंत्र:**
 - **महामारी रोग अधिनियम, 1897:** खतरनाक प्रकोप के खतरों को रोकने के लिए विशेष उपाय करने और नियम निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारों को आपातकालीन शक्तियां प्रदान करता है।
 - **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017:** जिला स्तर पर बीमारी की निगरानी, शुरुआती निदान क्षमता और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लचीलेपन पर जोर देती है।

निष्कर्ष

चांदीपुरा वायरस का प्रकोप उष्णकटिबंधीय वाहक जनित रोगजनकों के प्रति ग्रामीण आबादी की निरंतर संवेदनशीलता को उजागर करता है। मौसमी एन्सेफलाइटिस स्पाइक्स से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों, एकीकृत वाहक प्रबंधन, अंतर-राज्यीय स्वास्थ्य समन्वय और सामुदायिक स्तर पर नैदानिक क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता है।

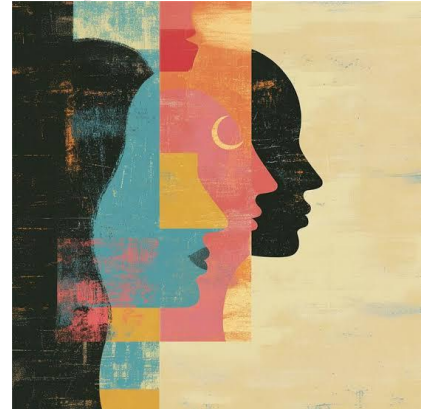
यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे; अंतर-राज्यीय स्वास्थ्य संकटों का शासन और केंद्र-राज्य परिचालन समन्वय।
- **जीएस पेपर III:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी—स्वास्थ्य में विकास और अनुप्रयोग; उभरते जूनोटिक और वाहक-जनित वायरल रोग, रोग प्रबंधन प्रोटोकॉल, और डायग्नोस्टिक्स में जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग।

8. बीपीएल आय सीमा बढ़ाने का कर्नाटक का प्रस्ताव और कल्याणकारी सुधार

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **आय सीमा में संशोधन:** कर्नाटक सरकार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा को ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹3.00 लाख करने पर विचार कर रही है।
- **प्रशासनिक सिफारिशें:** यह वृद्धि संशोधन राज्य गारंटी योजना कार्यान्वयन समिति के प्रमुख एच.एम. रेवन्ना की सह-अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बाद आया है।
- **कल्याणकारी पहुंच का विस्तार:** नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कहा कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य पात्र परिवारों के लिए कल्याणकारी लाभों के दायरे को व्यापक बनाना है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
- **अन्न भाग्य योजना का पुनर्गठन:** अन्न भाग्य योजना के तहत, 4.42 करोड़ लाभार्थियों को अब 10 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है, जिसे क्षेत्रीय रूप से खान-पान की आदतों के आधार पर 7 किलोग्राम चावल और 3 किलोग्राम रागी, या उत्तरी कर्नाटक में 8 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम ज्वार शामिल करने के लिए समायोजित किया गया है।
- **इंदिरा फूड किट की शुरुआत:** राज्य की योजना 'अन्न सुविधा' योजना के माध्यम से दरवाजे पर राशन वितरण के साथ-साथ अगले 2 से 3 महीनों के भीतर अन्न भाग्य योजना के तहत प्रस्तावित इंदिरा फूड किट को शुरू करने की है।
- **उचित मूल्य की दुकानों (FPS) का अनुकूलन:** अधिकारियों ने शिकायत निवारण के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन (1967) के सहयोग से सभी 20,259 उचित मूल्य की दुकानों को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रखने का निर्देश दिया है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **गरीबी रेखा से नीचे (BPL - Below Poverty Line):** गरीबी में रहने वाले व्यक्तियों और परिवारों की पहचान करने और लक्षित राज्य सब्सिडी और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए सरकारों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक आर्थिक मानदंड।
- **उचित मूल्य की दुकान (FPS - Fair Price Shop):** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत लाइसेंस प्राप्त एक स्थानीय खुदरा दुकान जो सब्सिडी दरों पर पात्र कार्डधारकों को आवश्यक खाद्यान्न और वस्तुएं वितरित करती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक जनादेश:**
 - **अनुच्छेद 21:** जीवन के अधिकार में भोजन, आजीविका और बुनियादी मानवीय गरिमा का अधिकार शामिल है, जो राज्य के कल्याणकारी हस्तक्षेपों के लिए संवैधानिक नींव रखता है।

- **राज्य नीति के निदेशक तत्व (DPSP):** अनुच्छेद 38 राज्य को जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है, जबकि अनुच्छेद 47 राज्य को पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का आदेश देता है।
- **वैधानिक ढांचा:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के व्यापक परिचालन दिशानिर्देशों और राज्य पीडीएस नियंत्रण आदेशों के साथ तालमेल में राज्य स्तरीय कार्यकारी नीतिगत निर्णयों के माध्यम से निष्पादित।

निष्कर्ष

बीपीएल आय सीमा को बढ़ाने का कर्नाटक का प्रस्तावित कदम सामाजिक नीति के प्रति एक अनुकूलनीय दृष्टिकोण को दर्शाता है, यह सुनिश्चित करता है कि मुद्रास्फीति और बदलती आर्थिक वास्तविकताएं पात्र परिवारों को कल्याणकारी लाभों से बाहर न करें। पीडीएस वितरण को सुव्यवस्थित करके और पोषण संबंधी सहायता का विस्तार करके, राज्य जमीनी स्तर पर आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

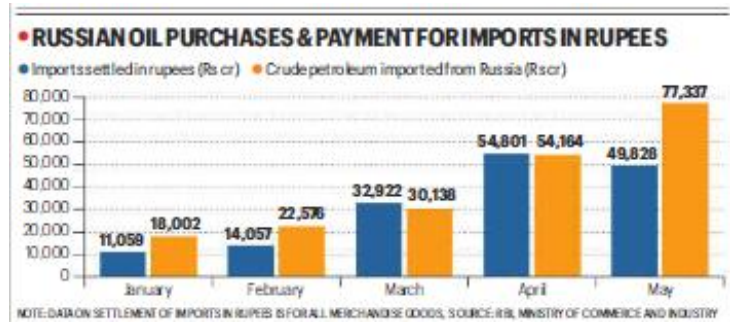
- **जीएस पेपर II:** केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; कल्याणकारी तंत्रों, कानूनों और संस्थागत ढांचों का प्रदर्शन।
- **जीएस पेपर III:** समावेशी विकास और उससे जुड़े मुद्दे; सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएं और भारत में खाद्य सुरक्षा ढांचा।

9. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण: रुपये में नामांकित आयात भुगतानों में उछाल

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **अभूतपूर्व आयात निपटान मात्रा:** भारत ने मार्च-मई अवधि के दौरान भारतीय रुपये (INR) में लगभग \$15 बिलियन (₹1.38 लाख करोड़) मूल्य के मर्चेडाइज आयात का निपटान किया, जो कुल आयातित शिपमेंट का 7.1% है।
- **प्राथमिक चालक:** इस तेज उछाल का मुख्य कारण अमरीकी प्रतिबंध छूटों और होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावित करने वाले पश्चिम एशियाई आपूर्ति व्यवधानों के बाद रियायती रूसी कच्चे तेल की रिकॉर्ड खरीद थी।
- **महत्वपूर्ण वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि:** इस तीन महीने की अवधि के दौरान रुपये में निपटाया गया आयात वित्त वर्ष 2023-24 (₹99,680 करोड़) और वित्त वर्ष 2024-25 (₹1.13 लाख करोड़) के पूरे वर्ष के आंकड़ों से अधिक हो गया।

- **विनिमय दर के दबाव को कम करना:** घरेलू मुद्रा में व्यापार का निपटान विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को कम करता है, जिससे वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्षों और पूंजी पलायन के कारण होने वाली अस्थिरता के खिलाफ रुपये को सहारा देने में मदद मिलती है।
- **द्विपक्षीय व्यापार में असमानता:** जहां आयात के लिए रुपये के उपयोग में उछाल आया, वहीं रुपये में नामांकित निर्यात निपटान अपेक्षाकृत मामूली रहा, जो वित्त वर्ष 2025-26 में कुल निर्यात का 3.22% (₹1.87 लाख करोड़) रहा।
- **रणनीतिक व्यापार संतुलन तंत्र:** रूस जैसे व्यापारिक साझेदारों द्वारा रुपये का संचय उन्हें भारतीय वस्तुओं और सॉफ्टवेयर निर्यात को खरीदने के लिए अधिशेष INR शेष का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण (Rupee Internationalisation):** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय लेनदेन और आरक्षित मुद्रा (रिजर्व करेंसी) के रूप में भारतीय रुपये के सीमा पार उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रक्रिया।
- **विशेष वोस्ट्रो खाता (Special Vostro Account):** घरेलू मुद्रा में घरेलू बैंक के पास किसी विदेशी बैंक द्वारा रखा गया खाता, जो विदेशी संस्थाओं को सीधे INR में व्यापार लेनदेन का निपटान करने में सक्षम बनाता है।
- **विनिमय दर पास-थ्रू (Exchange Rate Pass-Through):** वह सीमा जिस तक विदेशी विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के जवाब में घरेलू आयात लागत बदलती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वैधानिक ढांचा:**
 - **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** सीमा पार व्यापार लेनदेन, पूंजी प्रवाह और मुद्रा परिवर्तनीयता के लिए व्यापक कानूनी नियामक ढांचा प्रदान करता है।
 - **आरबीआई रुपया निपटान तंत्र (जुलाई 2022 परिपत्र):** अधिकृत डीलर बैंकों को INR इनवॉइसिंग और व्यापार निपटान को सक्षम करने के लिए विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (SRVA) खोलने के लिए अधिकृत करता है।
- **नीतिगत मार्गदर्शन:** विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 के तहत शासित, जो भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चालान (इनवॉइसिंग), भुगतान और निपटान को स्पष्ट रूप से बढ़ावा देती है।

निष्कर्ष

रुपये में निपटाए गए आयात भुगतानों में मील का पत्थर साबित होने वाला विस्तार डॉलर पर निर्भरता को कम करने और भारत की अर्थव्यवस्था को भू-राजनीतिक प्रतिबंधों से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूर्ण रूप से रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण हासिल करने के लिए निर्यात स्वीकृति का विस्तार करना, घरेलू बॉन्ड बाजारों को गहरा करना और द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह को संतुलित करना आवश्यक होगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि, विकास से संबंधित मुद्दे; विदेश व्यापार, भुगतान संतुलन, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और ऊर्जा सुरक्षा।
- **जीएस पेपर II:** भारत से जुड़े और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह (भारत-रूस व्यापार संबंध और पश्चिम एशियाई भू-राजनीति)।

10. मुकदमों के बैकलाग से लदे फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालय: कानून मंत्रालय का डेटा

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **संसदीय डेटा पेश किया गया:** कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला है कि मौजूदा फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (FTSCs) के पास 2.45 लाख लंबित मुकदमों का बैकलाग है।
- **कार्यात्मक पदचिह्न:** 30 अप्रैल तक, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 398 विशेष यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (e-POCSO) अदालतों सहित 775 FTSCs कार्यरत हैं।
- **प्राथमिक जनादेश:** बलात्कार और पोक्सो (POCSO) अधिनियम के लंबित मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्थापित।
- **लंबित मामलों के अंतर का बढ़ना:** 2025 में, FTSCs ने 1,43,936 नए मामले दर्ज किए, लेकिन केवल 66,500 मुकदमों का ही निपटान किया, जिससे 31 दिसंबर 2025 तक कुल लंबित मामले बढ़कर 2,45,579 हो गए।
- **विशेष मुकदमों का संदर्भ:** पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने की मांगों के बाद संसदीय पूछताछ हुई, जिससे समर्पित अदालतों की ढांचागत सीमाओं पर प्रकाश पड़ा।
- **प्रणालीगत बाधाएं:** सांसदों ने धन के उपयोग, न्यायिक रिक्तियों और मामलों की निपटान दर को प्रभावित करने वाली परिचालन बाधाओं के संबंध में विवरण मांगा।

FAST-TRACK COURTS SLOW DOWN

Disposals fell in 2025 while pending cases continued to rise

वर्ष	CASES DISPOSED	YoY CHANGE (DISPOSAL)	PENDING CASES AT YEAR-END
2021	36,470	- NA -	1.8 lakh+
2022	64,053	▲ 75.6%	1.9 lakh+
2023	76,349	▲ 19.2%	2 lakh+
2024	85,595	▲ 12.1%	2 lakh+
2025	66,500	▼ -22.3%	2.4 lakh+



Disposal dropped 22.3% in 2025, while pending cases rose to more than 2.4 lakh.

Source: Department of Justice, Parliament, Government of India

Pending cases figures rounded to the closest decimal

आवश्यक परिभाषाएं

- **फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें (FTSCs):** लक्षित जघन्य अपराधों के त्वरित निपटान के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्थापित विशेष न्यायिक मंच।
- **पोक्सो अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012):** बच्चों को यौन अपराधों से बचाने और बाल-अनुकूल विचारण (ट्रायल) प्रक्रियाएं प्रदान करने के लिए अधिनियमित विशेष वैधानिक ढांचा।
- **मामला निपटान दर (CCR - Case Clearance Rate):** किसी निर्दिष्ट समय सीमा में आने वाले मामलों के सापेक्ष निपटाए गए मामलों का प्रतिशत, जो न्यायिक दक्षता के लिए प्राथमिक मीट्रिक के रूप में कार्य करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व (DPSPs):**
 - **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार शामिल है।
 - **अनुच्छेद 39A:** राज्य को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता सुरक्षित करने का आदेश देता है, जिससे सभी नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।
- **वैधानिक तालमेल:**
 - **आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 और पोक्सो संशोधन:** यौन अपराध मामलों में जांच और सुनवाई के लिए सख्त समयसीमा अनिवार्य की गई है।
 - **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023:** विचारण (ट्रायल) कार्यवाही पूरी करने और निर्णय सुनाने के लिए वैधानिक समय सीमा लागू करती है।
- **न्यायिक सिद्धान्त:** *पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952)* ने स्थापित किया कि विशेष अदालतों का गठन करने के लिए अनुच्छेद 14 के तहत एक तर्कसंगत, गैर-मनमाना वर्गीकरण की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

यद्यपि फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों को न्याय में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन बढ़ती लंबितता क्षमता, कर्मचारियों की संख्या और बुनियादी ढांचे में प्रणालीगत बाधाओं को रेखांकित करती है। त्वरित सुनवाई के वादे को पूरा करने के लिए अदालत निर्माण के साथ-साथ समग्र न्यायिक भर्ती, बेहतर फोरेंसिक सहायता और मजबूत प्रशासनिक निगरानी की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; आपराधिक न्याय प्रणाली में लंबितता और देरी; कमजोर समूहों (महिलाओं और बच्चों) के लिए सरकारी हस्तक्षेप।
- **जीएस पेपर II:** वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय; शासन और नीति कार्यान्वयन की चुनौतियाँ।

11. गहराता पश्चिम एशिया संघर्ष और रूसी कच्चे तेल पर छूट का खात्मा

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **घटती छूट:** पश्चिम एशिया में नए सिरे से संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह में तेज गिरावट के कारण भारतीय रिफाइनरों के लिए रूसी कच्चे तेल पर मूल्य छूट प्रभावी रूप से समाप्त हो गई है।
- **आपूर्ति सुरक्षा की ओर बदलाव:** राज्य के स्वामित्व वाली भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) सहित भारतीय रिफाइनरियां, कड़े वैश्विक तेल बाजारों के बीच मूल्य विचारों से ऊपर ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही हैं।

- **अमरीकी प्रतिबंध छूट समाप्ति का प्रभाव:** 17 जून को अमरीकी प्रतिबंध छूट की समाप्ति का न्यूनतम परिचालन प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारतीय रिफाइनरियां गैर-प्रतिबंधित रूसी संस्थाओं से कच्चे तेल का स्रोत प्राप्त करना जारी रखे हुए हैं।
- **आयात मात्रा में उछाल:** जून में भारतीय रिफाइनरों द्वारा रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़कर लगभग 2.6 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) हो गया, जो भारत की कुल कच्चे तेल आयात टोकरी के आधे से अधिक हिस्सा है।
- **होर्मुज जलडमरूमध्य की संवेदनशीलता:** भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों के 88% से अधिक आयात पर निर्भर है, जिसमें से ऐतिहासिक रूप से 40% से अधिक संवेदनशील होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से होकर गुजरता है।
- **बाजार की गतिशीलता में बदलाव:** वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए बढ़ी हुई वैश्विक मांग ने कभी-कभी रूसी तेल को उसकी पारंपरिक छूट के बजाय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड पर मूल्य प्रीमियम प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है।

• DIMINISHING GAINS

AFTER THE June 17 US-Iran MoU, energy flows through the strait started recovering, with hope in the market that supplies through the chokepoint would normalise steadily

THE OPTIMISM led to a fall in oil prices. Discounts on Russian oil at Indian ports had also widened to over \$10 per barrel to benchmark Brent crude in early July, as per industry estimates

HOWEVER, THE recovery in energy flows from West Asia



lasted about three weeks, after which attacks on ships in the region resumed and tanker traffic crashed again

आवश्यक परिभाषाएं

- **होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz):** फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक रणनीतिक समुद्री मार्ग (चोकपॉइंट), जो वैश्विक पेट्रोलियम तरलता के लगभग पाँचवें हिस्से को संभालता है।
- **ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षा (Energy Supply Security):** सस्ती कीमत पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता, जो दीर्घकालिक राष्ट्रीय आर्थिक लचीलापन सुनिश्चित करती है।
- **प्रतिबंध छूट (Sanctions Waiver):** किसी प्रतिबंध लगाने वाले प्राधिकारी द्वारा दी गई एक आधिकारिक कार्यकारी छूट जो कानूनी दंड का सामना किए बिना विशिष्ट व्यापार या वित्तीय लेनदेन की अनुमति देती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक क्षेत्र (सातवीं अनुसूची):**
 - **सूची I (संघ सूची), प्रविष्टि 53:** तेल क्षेत्रों, खनिज तेल संसाधनों, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का विनियमन और विकास।
 - **सूची I (संघ सूची), प्रविष्टि 16:** विदेश मामले और अंतर्राष्ट्रीय संधियां, जो केंद्र सरकार को ऊर्जा व्यापार और रणनीतिक भंडारों पर बातचीत करने के लिए सशक्त बनाती हैं।
- **वैधानिक शासन:**
 - **पेट्रोलियम अधिनियम, 1934:** पूरे भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात, परिवहन, भंडारण और उत्पादन को विनियमित करता है।
 - **रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) ढांचा:** आपातकालीन कच्चे तेल के स्टॉक को बनाए रखने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (ISPRIL) द्वारा प्रबंधित।

निष्कर्ष

रूसी कच्चे तेल पर छूट का गायब होना भू-राजनीतिक झटकों के प्रति आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं की अत्यधिक संवेदनशीलता को रेखांकित करता है। भारत को अल्पकालिक आपूर्ति विविधीकरण को दीर्घकालिक ऊर्जा संक्रमण, संवर्धित रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और पश्चिम एशिया में मजबूत राजनयिक नेविगेशन के साथ संतुलित करना चाहिए।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि, विकास से संबंधित मुद्दे; ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और विदेशी व्यापार प्रभाव।
- **जीएस पेपर II:** भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव (पश्चिम एशिया संघर्ष, अमेरिकी प्रतिबंध नीति, और भारत-रूस व्यापार गतिशीलता)।

12. ओडिशा का ट्रेडमार्क कदम: पुरी जगन्नाथ मंदिर के लिए बौद्धिक संपदा हासिल करना

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **ट्रेडमार्क पंजीकरण स्वीकृत:** श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (SJTA) द्वारा दायर पांच ट्रेडमार्क आवेदनों को ट्रेडमार्क जर्नल में प्रकाशन के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्री द्वारा जांच में मंजूरी दी गई।
- **पवित्र शब्द संरक्षित:** SJTA द्वारा प्रस्तुत कुल 29 आवेदनों में से स्वीकृत शब्दों में "जगन्नाथ धाम", "श्री क्षेत्र", "महाप्रसाद", "नीलचक्र", और "कोइली बैकुंठ" शामिल हैं।
- **कानूनी कदम की उत्पत्ति:** यह पहल पश्चिम बंगाल द्वारा दीघा में "श्री श्री जगन्नाथ धाम सांस्कृतिक केंद्र" नाम से एक मंदिर का निर्माण करने पर उपजे विवाद से प्रेरित थी, जिसके बारे में ओडिशा ने तर्क दिया था कि यह पुरी की अनूठी विरासत को कमजोर करता है।
- **व्यावसायिक शोषण की रोकथाम:** पंजीकरण का उद्देश्य 12वीं शताब्दी के मंदिर से जुड़े पवित्र नामों, प्रतीकों और पारंपरिक प्रसादों के अनधिकृत उपयोग, ब्रांड के अवमूल्यन और वाणिज्यिक शोषण को कानूनी रूप से रोकना है।
- **संस्थागत अग्रणी:** पुरी जगन्नाथ मंदिर राष्ट्रीय ट्रेडमार्क व्यवस्था के तहत पवित्र पहचानकर्ताओं और वास्तुशिल्प प्रतीकों को व्यवस्थित रूप से पंजीकृत करने वाला भारत का पहला धार्मिक स्थल बन गया।
- **विवाद का समाधान:** शास्त्र संबंधी परंपराओं के संबंध में आपत्तियों के बाद, दीघा मंदिर के लिए "धाम" के संदर्भ को बाद में हटा दिया गया, जिससे पुरी को विशेष "जगन्नाथ धाम" के रूप में स्थापित किया गया।

आवश्यक परिभाषाएं

- **ट्रेडमार्क पंजीकरण (Trademark Registration):** बौद्धिक संपदा कानूनों के तहत किसी विशिष्ट ब्रांड नाम, लोगो, वर्डमार्क या प्रतीक पर विशेष स्वामित्व अधिकार प्रदान करने वाली एक कानूनी प्रक्रिया।

- **ट्रेडमार्क रजिस्ट्री (Trade Marks Registry):** 1940 में स्थापित वैधानिक प्राधिकारी जो भारत के ट्रेडमार्क नियामक ढांचे का संचालन करता है और ट्रेडमार्क का रजिस्टर रखता है।
- **कोइली बैकुंठ (Koili Vaikuntha):** पुरी मंदिर परिसर के भीतर का पवित्र बगीचा जहां देवताओं की लकड़ी की मूर्तियों को उकेरा जाता है और नबकलेवर अनुष्ठान के दौरान पुरानी मूर्तियों को दफनाया जाता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वैधानिक ढांचा:**
 - **ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 और ट्रेडमार्क नियम, 2017:** पंजीकरण को विनियमित करता है, धोखाधड़ी वाले उपयोग से ट्रेडमार्क की रक्षा करता है, और उल्लंघन के लिए वैधानिक उपाय प्रदान करता है।
 - **श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1955:** SJTA के माध्यम से पुरी मंदिर के प्रशासन, परिसंपत्तियों और आध्यात्मिक परंपराओं को शासित करता है।
- **संवैधानिक आयाम:**
 - **अनुच्छेद 25 और 26:** धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक संप्रदायों को धर्म और संस्थागत पहचान के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देता है।
 - **अनुच्छेद 49 (DPSP):** राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक हित के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को लूट, विकृति या दुरुपयोग से बचाने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष

पवित्र शब्दों के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करना सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों को एकीकृत करने में एक मील का पत्थर है। यह कानूनी मिसाल सुनिश्चित करती है कि धार्मिक प्रामाणिकता को बनाए रखते हुए प्राचीन परंपराएं अनधिकृत व्यावसायीकरण से सुरक्षित रहें।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** वैधानिक निकाय, शासन के मुद्दे, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 के तहत मौलिक अधिकार, और अंतर-राज्यीय सांस्कृतिक संघवाद।
- **जीएस पेपर III:** बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999, और पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के आर्थिक पहलू।

JULY 25, 2026

